न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 76/2020 [illegible]

परमाराम पुत्र भैराराम जाति [illegible] निवासी दडीबा तहसील बीदासर जिला चूरू [illegible]

प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (भू.अ.) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

उपस्थित :- अप्रार्थी

1 श्री [illegible] वकील प्रार्थी

2 [illegible] स्टेट की तरफ से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह प्रार्थना पत्र परमाराम ने जरिये अधिवक्ता के प्रार्थना पेश कर निवेदन किया गया है कि खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 1147/536 तादादी 3.92 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। खसरा भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में पहले प्रार्थी के पिता भैराराम वल्द नारायणराम के नाम से दर्ज थी. प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद खेत का विरासतन इन्तकाल प्रार्थी व प्रार्थी के अन्य भाई–बहिन व माता के नाम दर्ज हो गया। उक्त खेत का विभाजन हो गया है जिसमें प्रार्थी के खेत के खसरा नम्बर 1147/536 कायम हुये है। प्रार्थी के हिस्से की खातेदारी भूमि पर कब्जा, उपभोग प्रार्थी का चला आ रहा है। प्रार्थी के नाम उक्त खेत की खातेदारी दर्ज हुई तब भी प्रार्थी का नाम परमाराम ही था। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम परमाराम है।खातेदारी मे संहबन से परमाराम की जगह परमानन्द दर्ज कर दिया गया जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है प्रार्थी ने जब उपरोक्त खसरा की भूमि पर के.सी.सी. बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व इन्तकाल, जमाबंदी, क्षेत्रीय प्रमाण पत्र, नक्शा व गिरदावरी की नकले दिनांक 20.08.2020 को व इन्तकाल व मिलान क्षेत्रकाल की नकल दिनांक 10.11.2020 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी के उक्त खातेदारी के खेत खसरा खसरा नम्बर 1147/536 तादादी 3.92 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से परमानन्द अंकित चला आ रहा है, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शुरू से ही परमाराम रहा है।उपरोक्त खसरा भूमि मे प्रार्थी के विरासतन इन्तकाल में भी नाम भूलवंश परमानन्द अंकित कर दिया गया जो आगे चौसाला जमाबन्दियों में भी उक्त नाम चलता रहा। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का व अनपढ व्यक्ति है तथा मजूदरी पैशा व कृषि पैशा व्यवित होने के कारण व मजदूरी व कृषि में व्यस्त रहने के कारण कभी अपने राजस्व रिकार्ड को नहीं संभाला। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश, अनपढ व मजदूरी, कृषि पैशा व्यवित है। प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नहीं रही है। प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकले लेने पर ही सारी जानकारी हो पाई है। प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता [illegible] पत्र, आधार कार्ड बैंक पास बुक बिल आदि में प्राथी का नाम [illegible] आ रहा है। प्रार्थी का नाम कभी परमानन्द नहीं रहा है, केवलमात्र [illegible] प्रार्थी का नाम परमानन्द अंकित कर दिया गया है। परमाराम व परमानन्द [illegible] प्रार्थी के ही [illegible] जो प्रार्थी के अलावा ग्राम दडीबा तहसील बीदासर में अन्य कोई व्यक्ति नहीं [illegible] उपरोक्त सभी

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:09:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

[illegible]

आदेश

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:09:17 IST
Reason: SelfAttested